


की गई है और दिनांक 31.08.2010 को दावा वादी डिक्री किया गया है । माननीय राजस्व मण्डल के द्वारा दिनांक 18.06.2019 को रामपाल के द्वारा पेश की गई अपील को विद्धो किया है । अपीलान्त का यह कथन है कि चूंकि पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल में चली गई थी इस कारण वो समय पर परीक्षण न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.08.2010 के खिलाफ अपील पेश नहीं कर पाये । परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.04.2009 को दावा वादी स्वीकार किया गया था उसके खिलाफ अपील पेश होने पर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.02.2010 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया था । प्रकरण रिमाण्ड होने के उपरान्त परीक्षण न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है और पत्रावली पर संलग्न माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 18.06.2019 से यह प्रमाणित होता है कि प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में लम्बित रहा है और वहाँ पर रामलाल के द्वारा पेश की गई अपील को विद्धो किया गया है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्त के द्वारा अपील पेश करने में जो विलम्ब हुआ है उसको हम न्यायहित में उदारतापूर्ण दृष्टिकोण रखते हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना उचित समझते हैं । आरआरटी 2018 (1) पेज 601 यहाँ चस्पा होती है । वैसे भी परीक्षण न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं जो कि विधिक प्रावधानों के विपरीत है और ऐसा निर्णय जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होता है उसमें मियाद का प्रश्न गौण हो जाता है ।


अतः अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है । पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11.12.2020 को पेश हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
13.11.2020  
(भागवती जेठवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11/12/20 वकील उमपुष उपर माननीय राजस्व मण्डल  
अजमेर द्वारा मि.न. 2019/367 तलुकी पत्र  
प्राप्त हुआ है जिसमें आगामी पेशी 18/12/2020 है  
अतः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर की कठुपालना  
मे. मि.न. 2019/367 राजस्व मण्डल मि.न. 367  
जावे पत्र प्राप्त है पत्रावली खाते तकमि  
जम्ब (सकम) शक्ति प्राप्त होने पर पुनः दफ्त

  
(भागवती जेठवानी)  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा